

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं 427
(22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पहाड़ी राज्यों में पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत ग्रामीण कनेक्टिविटी

427. श्री विष्णु दयाल राम:
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:
श्री बिप्लब कुमार देब:
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत:
श्री विजय कुमार दूबे:
श्री सुरेश कुमार कश्यप:
श्री गोडम नागेश:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में ग्रामीण संपर्क को सुधारने के लिए हाल ही में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना -III (पीएमजीएसवाई-III) के अंतर्गत स्वीकृत अवसंरचना परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये अवसंरचना परियोजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सुदूर क्षेत्रों में बाजारों तक पहुंच को किस प्रकार से बढ़ाएंगी;

(ग) क्या ये परियोजनाएं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त पारिस्थितिकी संवेदनशील प्रथाओं के साथ लागू की जा रही हैं, जिससे स्थायी विकास सुनिश्चित हो सके; और

(घ) क्या पीएमजीएसवाई -III के अंतर्गत बढ़ी हुई संपर्कता से पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और अंतर-राज्यीय आवागमन को बढ़ावा देने की संभावना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III (पीएमजीएसवाई-III) के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों और पुलों का विवरण नीचे दिया गया है:

राज्य	स्वीकृत सड़कों की संख्या	स्वीकृत सड़क लंबाई (किमी में)	स्वीकृत पुलों की संख्या
मणिपुर	97	783.209	0
मिजोरम	17	487.504	7
हिमाचल प्रदेश	299	3,123.117	43
उत्तराखंड	212	2,287.948	9

(ख) पीएमजीएसवाई-III का उद्देश्य मौजूदा थ्रू रूटों और प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्गों , जो बसावटों को ग्रामीण कृषि मंडियों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से जोड़ते हैं , के उन्नयन द्वारा मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करना है । मौजूदा थ्रू रूटों और प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्गों का उन्नयन ग्रामीण बाजारों और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं को जोड़ने के प्रस्तावित कार्य की प्राथमिकता पर आधारित है।

नीति आयोग , भारतीय प्रबंधन संस्थान , अहमदाबाद (आईआईएम-ए) , विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), बिडला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (बिट्स), पिलानी इत्यादि द्वारा पीएमजीएसवाई पर किए गए विभिन्न स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययनों ने प्रमाणित हुआ है कि इससे शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक पहुंच बढ़ी है , कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन में मदद मिली है , किसानों को बेहतर कृषि मूल्य प्राप्त करने आदि में मदद मिली है। पीएमजीएसवाई सड़कों ने बच्चों , विशेष रूप से बालिकाओं को प्राथमिक विधालय स्तर से आगे अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान किए हैं। लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो रही हैं। महिलाएं प्रमुख लाभार्थी रही हैं , जिनके अधिकांश बच्चों का जन्म सरकारी अस्पतालों में हो रहा है और वित्तीय निर्णयों में उनकी भागीदारी भी बढ़ी है और यह उनकी बाजार पहुंच में भी परिलक्षित हो रहा है। यह योजना गरीबी उन्मूलन पर विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है।

(ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण में स्थानीय , गैर-पारंपरिक और हरित तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के अंतर्गत सड़कों के निर्माण में पर्यावरण-अनुकूल हरित तकनीकों जैसे कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी , अपशिष्ट प्लास्टिक , पूर्ण गहराई पुनर्ग्रहण (एफडीआर), सेल-फिल्ड कंक्रीट, पैनल युक्त सीमेंट कंक्रीट आदि का उपयोग किया जा रहा है। ये तकनीकें न केवल उच्च-गुणवत्ता वाली पारंपरिक सामग्रियों के क्षरण को कम करती हैं , बल्कि ग्रीन हाउस गैसों और हवा में मौजूद भारी सस्पेंडेड कणों के उत्सर्जन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को भी न्यूनतम करती हैं।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के मानक , सड़क स्थल की स्थितियों पर आधारित होते हैं। पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण सड़कों के विनिर्देशों , ग्रामीण सड़क नियमावली आईआरसी एसपी: 20: 2002, आईआरसी एसपी: 72: 2015 और आवश्यकतानुसार , पहाड़ी सड़क नियमावली आईआरसी एसपी: 48 और अन्य आईआरसी संहिताओं/दिशानिर्देशों में दिए गए तकनीकी विनिर्देशों और ज्यामितीय डिज़ाइन मानकों के अनुसार किया जाता है।

(घ) जी हाँ। बेहतर ग्रामीण सड़क नेटवर्क , बाज़ारों तक उत्पादों के आसान परिवहन की सुविधा प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने में योगदान देता है। बेहतर सम्पर्कता से आर्थिक विकास और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा , निर्माण और रखरखाव संबंधी नौकरियों के माध्यम से रोज़गार के अवसर पैदा होंगे और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
